महत्वपूर्ण

संख्या- 50/2017/**1121/33-3-2017-10** जी.आई.**/2015**

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,

अपर मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त**,** उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी**,** उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक 13 जून, 2017**

विषय- प्लान-प्लस साफ्टवेयर पर ग्राम पंचायतो द्वारा वर्ष **2017-18** में विकसित वार्षिक कार्ययोजना **(**जी**0**पी**0**डी**0**पी**0)** को अपलोड किये जाने एवं एक्शन**/**प्रियासाफ्ट साफ्टवेयर पर फीडिंग की प्रगति के सम्बन्ध में।

महोदय**,**

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 5/2017/158/33-3-2016-10जीआई/ 2015, दिनांक 23 जनवरी, 2017 एवं तत्क्रम में शासनादेश संख्या- 11/2017/ 423/33-3-2016-10 जीआई/2015, दिनांक 21 मार्च, 2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों के समग्र विकास हेतु पंचायतों द्वारा **ग्राम पंचायत विकास योजना(जी.पी.डी.पी.)** तैयार कर उन्हें दिनांक 30 अप्रैल 2017 तक भारत सरकार के साफ्टवेयर प्लान-प्लस पर अपलोड किये जाने के निर्देश निर्गत किए गए है। इस सम्बंध में **19** अप्रैल**, 2017** को विभागीय प्रस्तुतीकरण के समय मा**0** मुख्यमंत्री जी**,** उ**0**प्र**0** द्वारा भी समयबद्व कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त रूप से **जी.पी.डी.पी. तैयार कर प्लान-प्लस** साफ्टवेयर **पर अपलोड किए जाने के सम्बंध में** निर्गत आदेशों के पश्चात् भी अभी तक वर्ष 2017-18 में 59020 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष प्लान-प्लस साफ्टवेयर पर मात्र 11986 ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजनाएं (ग्राम पंचायत विकास योजनाएं) अपलोड हुई है, जोकि अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। ससमय योजनाएं तैयार कर अपलोड नही होने से ग्राम पंचायतें वर्ष 2017-18 में नए कार्यो को आरम्भ नही कर सकेगी एवं ग्राम पंचायत को कल्याणकारी योजनाओं/कार्यो से लाभान्वित होने में विलम्ब होगा।

http://shasnadeshup.nic.in

इसी कारण से लगातार दो वर्षो से कार्यो की प्रगति निर्धारित समय में न होकर एक वर्ष पीछे चल रही है। इसलिए आवश्यक है कि न सिर्फ सामुदायिक नियोजन की प्रक्रिया को तेज किया जाए अपितु तकनीकी रूप से भी आवश्यक संसाधनों का उपयोग कर प्लानप्लस/ एक्शनसाफ्ट/ प्रियासाफ्ट साफ्टवेयर पर योजना अपलोड करने से लेकर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को अंकित किया जाए।

उक्त के सम्बंध में आप अवगत हैं कि ग्राम पंचायतों को पॉच वर्षो में (वर्ष 2015-16 से 2019-20) 14वें वित आयोग अन्तर्गत रू0 35776.57 करोड़ एवं राज्य वित आयोग अन्तर्गत रू0 13049.65 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की जानी है। गत वित्त आयोगों की तुलना में बढ़ी हुई धनराशि के प्रबंधन एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु आवश्यक है कि ग्राम पंचायत स्तर तक प्रत्येक कार्य का अनुश्रवण हो तथा ग्राम पंचायतों को योजना तैयार करने में हैण्डहोल्डिंग सपोर्ट दिया जाए। उसके लिए जनपद स्तर पर जी.पी.डी.पी. के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 'जिला क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति' का गठन किया गया है। समिति के मागदर्शन में ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने की प्रक्रिया को चरणवार निम्नलिखित रूप से किया जाना है-

1. ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की खुली बैठक में योजनाओ से प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष कराए जाने वाले कार्यो का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए अगामी वर्ष 2017-18 की कार्ययोजना (जी0पी0डी0पी0) तैयार की जाए। ग्राम सभा की बैठक से पूर्व वातावरण सृजन कर पारिस्थितिकी विश्लेषण करते हुए पी0आर0ए0 टूल्स तथा सोशल मैपिंग, संसाधन मैपिंग, पाई चित्रण, ट्रान्सेक्ट वॉक आदि माध्यमों का उपयोग कर सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की जाय एवं पारिस्थितिकी विश्लेषण/ आवश्यकताओं को ग्राम सभा की बैठक में रख प्रत्येक वर्ग के सुझावों को योजना में सम्मिलित करते हुए वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त किया जाये। तदोपरान्त अनुमोदित कार्ययोजना, बैठक का कार्यवृत्त एवं दस्तावेजों को प्लान-प्लस साफ्टवेयर पर अपलोड किया जाय।
2. उक्त कार्य हेतु खण्ड स्तर के अधिकारी(चार्ज आफिसरों) का रोस्टर लगाकर उनको कार्य योजाना तैयार कराने की जिम्मेदारी दी जाए।
3. जी0पी0डी0पी0 को प्लानप्लस पर अपलोड के साथ ही उसमें जेनरेट जी0पी0डी0पी0 विकल्प का भी उपयोग किया जाए। इस तरह ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना के अहम्

http://shasnadeshup.nic.in

दस्तावेज जैसे ग्राम पंचायत की प्रोफाइल, पारिस्थितिकी विश्लेषण, बैठक के कार्यवृत्त एवं अन्य दस्तावेज को भी प्रत्येक स्तर पर देखा जा सकेगा।

4- कार्ययोजना में लिए गए कार्यो का प्राक्कलन तैयार करने एवं तकनीकी अनुमोदन हेतु खण्ड स्तर पर उपलब्ध तकनीकी कर्मी यथा-जे.ई.एम.आई. एवं जे.ई.आर.ई.डी., मण्डी परिषद, जिला पंचायत के तकनीकी कर्मियों के साथ-साथ अन्य नियमित तकनीकी कर्मियों को भी नामित करने हेतु दिनांक 23 जनवरी 2017 के शासनादेश से निर्देश दिए जा चुके है। शासन द्वारा 22 नवम्बर, 2016 के शासनादेश से रू. 2 लाख तक के कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति का अधिकार ग्राम सभा को तथा कार्ययोजना की स्वीकृति पूर्ण रूप से ग्राम सभा की खुली बैठक में लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शेष रू. 2 लाख से अधिक मूल्य के कार्यों हेतु पंचायत राज अधिनियम-1947 के नियम 154 में यथावश्यक संशोधन की कार्यवाही प्रचलित है।

5- उक्त के अतिरिक्त यह भी संज्ञान में लाना है कि वर्ष 2016-17 में प्लान-प्लस/ एक्शन-साफ्ट पर विकसित की गई कार्यों की वर्क आई.डी. जिन पर कोई भी प्रगति नही हुई है तथा वे कार्य जो कि प्रगतिशील हैं, परन्तु वित्तीय वर्ष में पूर्ण नहीं किये जा सके हैं को निम्न प्रकार से एक्शन-साफ्ट/प्रिया-साफ्ट पर अंकित किया जायेगा:-

क्र	कार्यों का प्रकार	एक्शन-साफ्ट/प्रिया-साफ्ट पर अंकन
1	कार्य (वर्क आई.डी.) जिन पर वित्तीय वर्ष में कोई प्रगति नहीं की गयी है।	एक्शन-साफ्ट पर उन्हें Abandon कर आवश्यकतानुसार वर्ष 2017-18 की कार्ययोजना में सम्मिलित किये जाने पर ग्राम सभा विचार कर सकती हैं।
2	कार्य (वर्क आई.डी.) जो कि प्रगतिशील हैं, परन्तु वित्तीय वर्ष में पूर्ण नहीं किये जा सके हैं।	एक्शन-साफ्ट पर On going work की श्रेणी में रखा जाये (प्रिया- सॉफ्ट पर वर्ष 2016-17 बन्द करने से पहले) एवं प्रिया साफ्ट पर ऐसी वर्क आई.डी. स्वत: ही वर्ष 2017-18 में प्रदर्शित होगीं जिससे उनके सापेक्ष व्यय का विवरण प्रिया-साफ्ट पर अंकित किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2016-17 में 14वें एवं चतुर्थ वित्त आयोग में लगभग सत्रह लाख बीस हजार नौ सौ तिरपन वर्क आई.डी. विकसित की गई है। जिसमें केवल तीन लाख इक्कीस हजार तीन सौ चौसठ वर्क आई.डी. ही क्रियान्वित हैं। इस

http://shasnadeshup.nic.in

कारण एक्शन-सॉफ्ट/प्रिया-सॉफ्ट पर वर्क आई.डी. के सापेक्ष किया गया व्यय मैप में प्रदर्शित नही हो रहा है।

6- ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत जिन जनपदों में ग्राम प्रधान एवं नियोजन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण नही हुआ है वह अतिशीघ्र 5 दिवस के अन्दर समस्त प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित् करें एवं उपभोग प्रमाण-पत्र दिनांक 15 जून, 2017 तक पंचायतीराज निदेशालय को अवश्य प्रेषित् कर दें।

अत: उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने जनपद में **स्वयं के स्तर से साप्ताहिक बैठक कर प्लान-प्लस, एक्शन-साफ्ट तथा प्रिया-साफ्ट साफ्टवेयर पर अंकन में आ रही समस्याओं का निराकरण करते हुए वर्ष 2017-18 की ग्राम पंचायत विकास योजना को दिनांक 30 जून 2017 तक अनिवार्य रूप से अपलोड कराया जाना सुनिश्चित् करें। इसके साथ ही वर्ष 2016-17 में प्लान-प्लस/एक्शन-साफ्ट साफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्येक कार्य की वर्क आई.डी. के सापेक्ष व्यय की अद्यतन बाउचर इन्ट्री, प्रिया-साफ्ट** साफ्टवेयर **पर ऑनलाइन अनिवार्य रूप से फ्रीज कराने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।**

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, नियोजन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सिंचाई विभाग, पशुपालन विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग,उ.प्र. शासन।
4- महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।

http://shasnadeshup.nic.in

5- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ.प्र.।

6- निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र.।

7- निदेशक, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान(प्रिट), लखनऊ।

8- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.।

9- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं.), उ.प्र.।

10- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ.प्र.।

11- समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उ.प्र.।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in